

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, हाथरस।

पत्रांक:सी0— / जि0का0अधि0/आ0बा0 कार्यकत्री भर्ती/विज्ञप्ति/2026-27/

दिनांक: 22,09,2026

विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या: 2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक: 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद हाथरस के नगर पालिका/परिक्षेत्र (शहर क्षेत्र) एवं ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत मानदेय आधारित आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के पदों का केन्द्रवार आरक्षण विभागीय वेबसाइट: <http://upanganwadibharti.in> पद प्रदर्शित होगा तथा ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। रिक्त पदों का विवरण बाल विकास परियोजनावार निम्नवत् है:-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों का विवरण।				सहायिका के रिक्त पदों का विवरण।			
		अनारक्षित पद	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	कुल योग	अनारक्षित पद	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनुसूचित जाति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सादाबाद	1	0	0	1	31	8	12	51
2	हाथरस ग्रामीण	3	0	1	4	22	12	8	42
3	सिकन्दराराऊ	2	0	1	3	4	6	12	22
4	सासनी	0	0	0	0	11	9	8	28
5	हसायन	1	0	0	1	8	7	8	23
6	सहपऊ	0	1	1	2	6	4	5	15
7	मुरसान	0	3	0	3	13	12	10	35
	शहर	0	1	0	1	10	9	2	21
	योग	7	5	3	15	105	67	65	237

उपरोक्त पदों पर ग्राम सभा/वार्ड वार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील परिसर एवं समस्त विकास खण्ड कार्यालयों इत्यादि के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जायेगा, साथ ही विभागीय वेबसाइट: <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड किया जायेगा।

विज्ञप्ति पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

- आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
- अभ्यर्थी आवेदिका द्वारा आवेदन करते समय अपने समस्त शैक्षिक योग्यताओं (इण्टरमीडिएट, स्नातक एवं परास्नातक) के परीक्षा में प्राप्त अंक भरे जायेंगे। समस्त परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। आयु के संबंध में हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष की कट ऑफ डेट दिनांक: 01-07-2026 होगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों पर आवेदन करने हेतु उसी वार्ड/ग्राम सभा का निवासी होना अनिवार्य है, यदि उसी ग्राम सभा में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से पात्र अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।
- विज्ञापित पदों हेतु केवल विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन फार्म पर निर्धारित समयावधि के अन्दर ही स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्णक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूट रचित पाए जाएंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे।
- उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा, विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- यदि उपरोक्तनुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने की स्थिति में उसी ग्राम सभा/वार्ड(शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला, विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं।
- उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा।
- विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी एवं तलाकशुदा/परित्यक्ता के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।
- गरीबी रेखा की आय सीमा का पुन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या: 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक: 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो तथा गरीबी रेखा की आय सीमा का पुन निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश में उल्लेखित ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा हेतु निर्धारित आय सीमा का अनुपालन किया जायेगा।
- निवास व जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

- आंगनबाडी कार्यकर्त्री की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- जो पद जिस श्रेणी हेतु आरक्षित है, उसी श्रेणी के आवेदन मान्य होंगे। अनारक्षित श्रेणी के पदों पर किसी भी जाति के आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।
- आंगनबाडी कार्यकर्त्रियों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 23-09-2026 से दिनांक: 13-10-2026 तक मध्य रात्रि 12:00 बजे तक होगी।

नोट:- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

(धीरेन्द्र कुमार उपाध्याय)
जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हाथरस।

पृष्ठांकन संख्या (८५५) / तद्दिनांक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की सेवा में सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु सादर प्रेषित :-

- 1-निदेशक महोदय, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी महोदय, हाथरस।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी हाथरस।
- 4-जिला सूचना अधिकारी, हाथरस को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र दैनिक जागरण एवं एक स्थानीय समाचार-पत्र दैनिक राजपथ, हाथरस में न्यूनतम साइज में प्रकाशित करते हुए बिल भुगतान हेतु प्रमाणित करते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 5-समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी जनपद हाथरस को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति एवं सम्बन्धित रिक्त आंगनवाडी केन्द्र की आरक्षणवार सूची अपने विकास खण्ड के समस्त कार्यालयों नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी,
हाथरस।